कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 1289 दिनांकः– 22/10/2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **पलामू व्याघ्र आरक्ष्य के कोर क्षेत्र में बसे गाँव के पुर्नवास हेतु मेदिनीनगर वन प्रमंडल के पोलपोल कालान पी0 एफ0 में 133.64 हे0 अधिसूचित वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 1209 दिनांक 06.09.2021 एवं पत्रांक 1265 दिनांक 27.09.2021**

महाशय,

प्रांसगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना FP/JH/FVC/46701/2020 में Voluntary relocation हेतु कुल **133.64 हे0** मात्र (P/F) अधिसूचित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुई थी। प्रस्ताव की समीक्षा के क्रम में कतिपय कमियां पाई गई थी। निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1173 दिनांक 23.09.2021 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 1265 दिनांक 27.09.2021 द्वारा निराकरण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. मेदिनीनगर वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा हे0 में	जंगल–झाड़ी वनभूमि का रकबा हे0 में	कुल रकबा हे0 में	वनस्पति घनत्व
1	मेदिनीनगर	**133.64**	शून्य	**133.64**	**0.25**

2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form A Part-I में आवेदन अभियुक्ति दर्ज करते हुये ऑन–लाईन आवेदन संलग्न है। साथ ही भारत सरकार के Website पर निर्धारित format मे Form A Part-I में अभियुक्ति दर्ज कर अपलोड किया गया है।
3. प्रस्ताव के साथ Justification संलग्न है।
4. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेशन संलग्न है।
5. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार निम्नवत् है :–

Revised Land Schedule for Relocation in Polpol Kalan P.F.					
Village	Plot No.	Area (in hectare)	Area (in Acre)	Nature of Land	Remarks
Polpol Kalan	1296	4.77	11.79	P.F.	
	1295	20.24	50.02		
	1345	108.62	268.41		
Total		133.64 Hectare	330.22 Acre		

22/10

6. प्रश्नगत प्रस्ताव PTR में अवस्थित Kujrum एवं Latu Village के relocation हेतु कुल 133.64 हे0 वनभूमि में मेदिनीनगर वन प्रमंडल में अपयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित अपयोजन पोलपोल कलाँ P.F में किया जाना है। relocation हेतु वर्तमान प्रस्ताव के अतिरिक्ति लातेहार वन प्रमंडल के अन्तर्गत लाई खालसा आर0एफ0 एवं पैलापथल आर0 में भी 166.00 हे0 वनभूमि का प्रस्ताव है। जिस पर अलग से कार्रवाई की जा रही है।
7. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का मंतव्य दर्ज है। साथ ही भारत सरकार के Website पर निर्धारित format मे Part-II में अभियुक्ति दर्ज कर अपलोड किया गया है।
8. प्रस्ताव के साथ वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का Joint स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है।
9. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
10. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर Voluntary relocation का लोकेशन दिखाते हुए संलग्न है।
12. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
13. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मेदिनीनगर के पार्ट–II के कंडिका 4 के उप कंडिका (ii) में दर्ज अभियुक्ति के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या **19482.00** है जिसमे कुल 7502 वृक्षों का पातन होने की सम्भावना है। प्रस्ताव के साथ वृक्षों की प्रजातिवार एवं Girth-wise गणना सूची संलग्न है।
14. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् उपायुक्त पलामू का पत्रांक 56 दिनांक 15.01.2018 द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त है। साथ ही F.R.A से संबंधित ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति संलग्न है।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता नही दी गई है। क्योकि भारत सरकार के पत्र F-No.-8-34/2017-FC दिनांक 20.05.2015 के Para 1 (h) में स्पष्ट अंकित है कि "The payment of NPV and Cost of CA may be exempted in all such cases of Voluntory relocation/ rehabilitation of familes from the Protected Areas undertaken within the Forest Land" चूकि यह प्रस्ताव Voluntary relocation हेतु है अतः दिशा निर्देश के तहत इसकी आवश्यकता नहीं है।
16. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में सूचित करना है कि "As per guideline issued by MoEF&CC. Govt of India, forest land proposals involving voluntary relocation/ rehabilitation of families from the protected Areas have been exempted from payment of NPV and CA. Hence on NPV or CA is not applicable in this case"
17. प्रस्तावित वनभूमि **इको सेंसेटीव जोन** (ESZ) में आवस्थित है। इस संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार का पत्र सं0 5-2/2017-FC दिनांक 24.07.2020 एवं पत्रांक F No.-6-60/2020WL Part (I) दिनांक 16.07.2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में स्पष्ट है कि ***"जिन संरक्षित क्षेत्रों का इको सेंसेटिव जोन अंतिम रूप से अधिसूचित कर दिया गया है, वैसे क्षेत्रों में केवल उन्हीं परियोजनाओं के मामलों में राज्य वन्यजीव बोर्ड अथवा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी जिनके लिय EIA Notification 2006 (अनुलग्नक संलग्न) की अनुसूची में उल्लखित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी। चूँकि EIA Notification 2006 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कोर क्षेत्र से वनग्रामों के स्वैच्छिक पुनर्स्थापन कार्य को सूचीबद्ध नही किया गया है, इस मामले में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत राज्य वन्यजीव बोर्ड अथवा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड में पूर्वानुमति की आवयकता नही है।"***
18. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है। परन्तु पी0टी0आर0 एवं **इको सेंसेटीव जोन** (ESZ) में अवस्थित है।
19. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 1173 दिनांक 23.09.2021 द्वारा अनुरोध किया गया था। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी

प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1533 दिनांक 29.09.2021 द्वारा मंतव्य प्राप्त है। CWLW का मंतव्य निम्नवत् है:–

''वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर ने अपने पत्रांक 1265 दिनांक 27.09.2021 द्वारा अनुपालन आपके कार्यालय को प्रेषित किया है। उक्त प्रतिवेदन पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहमति व्यक्त की जा रही है। अनुरोध होगा कि वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।'

20. वन प्रमंडल पदाधिकारी मेदिनीनगर ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में अंकित किया है कि इस परियोजना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का violation नहीं किया गया है।

21. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा निम्न शर्तो पर अनुशंसा की गई है,

वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा अनुशंसा निम्नवत् है:–

Palamau Tiger Reserve is one the first nine tiger reserves of our country. It has been home of many tigers. As the population of tigers started decreasing countrywide, it also lost its tigers and numbers diminished severely. The presence of human population inside core are had been main reason for decline of tiger population in almost all tiger reserves of country and it was dealt with utmost priority by relocating more than 600 villages from tiger reserves. Under the aegis of project Tiger, several other tiger reserves bounced back to a thriving population of big cats, however, Jharkhand's only tiger reserve, Palmau Tiger Reserves could not achieve same feat. One of the major reasons can be attributed to failure in creating large inviolate space for breeding of tigresses by relocating villages from core area of tiger reserve.

Palamau Tiger Reserve has eight villages inside core area. Three villages viz. Latu, Kujrum and Henar are settled in the heart of the reserve. So these three villages must be relocated outside for conservation of tiger and other wild animals.

This proposal has been submitted for relocation of Kujrum, Latu and other villages situated inside palamau Tiger Reserve, As relocation is a voluntary exercise, the area applied for forest land diversion has been selected by villagers themselves. The area applied for diversion is outside reserve. It is an open and degraded forest It is situated very near to Daltonganj town. There is also a State Highway along Polpol PF. It will provide villagers an opportunity to lead a much better life in comparison to the present location which is located much inside much inside the forest without connectivity of pucca road. It will also make available an inviolate area for conservation of wild animals and for the breeding of tigresses in Palamau Tiger Reserve.

Hence, the proposal is recommended.

PTR को ध्यान में रखते हुये क्षेत्रीय पदाधिकारियों से सहमत होते हुये स्टेज–I की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस शर्त के साथ अग्रसारित किया जाता है। कि relocation में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्गत Guideline Letter No. F-No. 8-34/2017-FC date. 20.05.2019 का पालन करना होगा।

चूँकि यह प्रस्ताव राज्य सरकार की अतिमहत्वपूर्ण परियोजना है अतः लोकहित/राज्यहित में प्रस्ताव की तीन मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल **133.64** हे0 वनभूमि के अपयोजन हेतु स्टेज–I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य संरक्षक(HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0:–यथोक्त।
मूल प्रस्ताव तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

21.10.21

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

Reloocation of Kujrum and Latu Forest Village from PTR Daltonganj

133.64 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or 'Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

133.64 ha of Notified Forest land in Polpol Kalan Protected Forest is recommended for diversion Subject to Follow the MOEF Guideline Letter No, F-No.8-34/2017-FC dated. 20.05.2019 for voluntary relocation of Kujrum and Lato Village from Palamau Tiger Reserve

Date :- 21.10.2021

Place :- Ranchi

Signature

(AJAY KUMAR RASTOGI)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)